FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) नागौर मुकाम ....

धर्मसिंह वगैरह बनाम पदमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 128 LR Act नं. 126/19 सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.19	प्रार्थी/~~वादी/अपीलांट~~ के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद/अपील~~ धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.07.19 को पेश हो।	
08/07/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फार्म तामील शामिल। मौका पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 20/08/19 को पेश हो।	
20/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। मौका पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों के व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 15/10/2019 को पेश हो। //	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन/2020/218
आवेदन संख्या – 196/19
न्यायाल...
प्रार्थीगण
श्री धर्माराम पुत्र रूपाराम वगैरा
6 जातियान–जाट
निवासी ...

15/10/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 24/12/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

24/12/19 [illegible] । [illegible] । [illegible] है। [illegible] दिनांक 12/02/2020 [illegible] हो।

(हस्ताक्षर)

12/02/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत लेन देन साथ हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के बीच जो पुरानी मेड़ व कांटे लगाए हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये हैं। बरसात होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खेतों को तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी खेत में काश्त कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइश करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइश का आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइश आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश [illegible] जमा करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आवेदन / 2020 / 218

स्व आवेदन संख्या – 196 / 19

दिनांकः– 03/03/2020

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री धर्माराम पुत्र रूपाराम वगैरा
6 जातियान्–जाट,
निवासी–मेराजोणियों की बेरी,
बाटाड़ू, तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

श्री पदमाराम पुत्र किरपाराम वगैरा
82

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मेराजोणियों की बेरी पटवार हल्का बाटाड़ू के खेत खसरा नम्बर 1889 / 1800, 1891 / 1800, 1849 / 1462, 1461, 1463, 1471, 1789, 1810, 1846 / 1460, 1885 / 1789, 1893 / 1810 रकबा क्रमशः 00.15, 00.05, 02.00, 00.08, 81.12, 92.16, 91.00, 00.05, 18.00, 07.00, 07.16 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 03/03/2020

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 219 to 223

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बाटाड़ू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री धर्माराम पुत्र रूपाराम वगैरा 6।
4. विप्रार्थीगण श्री पदमाराम पुत्र किरपाराम वगैरा 82 ।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

12.2.2020

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:43:48 IST
Reason: SelfAttested